



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0, भोपाल

E-mail id : mpbse@mp.nic.in, Website : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या. - (0755) 2551166-71

क्रमांक /67/विद्योचित/2025

भोपाल, दिनांक 11/02/2025

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 789/221/2022/20-3 भोपाल, दिनांक 23.12.2024 के अनुसार कक्षा 9वीं में सत्र 2024-25 एवं कक्षा 10वीं में सत्र 2025-26 तक बेस्ट ऑफ फाईव पद्धति लागू रखा जायेगा। कक्षा 9वीं में सत्र 2025-26 से तथा कक्षा 10वीं में सत्र 2026-27 से बेस्ट ऑफ फाईव पद्धति समाप्त होगी।

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में विज्ञप्ति जारी की जाती है।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11/02/2025

पृ.क्रमांक /68/विद्योचित/2025

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।
3. निज सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/उपसचिव मा0शि0म0 म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल।
5. संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् म.प्र. भोपाल।
7. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
8. आंचलिक अधिकारी, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इंदौर।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
11. समस्त समन्वयक संस्थायें एवं समस्त संस्था प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. सी.एस.ओ. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल और वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
13. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, की ओर प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।
15. समस्त संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.।
16. समस्त सहायक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल